गुलाम नबी आज़ाद
GHULAM NABI AZAD

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108
Minister of Health & Family Welfare
Government of India
Nirman Bhavan, New Delhi-110108

सन्देश

संविधान निर्माताओं ने अन्य प्रावधानों के साथ-साथ 14 सितम्बर, 1949 को संघ की राजभाषा के रुप में हिन्दी को राजभाषा के रुप में स्वीकार किया था इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रुप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी है तथा सरकारी कामकाज में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रुप प्रयोग किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार की ओर से राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए समय-समय पर अधिनियम, नियम एवं आदेश/अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम भी जारी करता है जिसके तहत 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिनको प्राप्त करना प्रत्येक मंत्रालय, विभाग एवं उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राजभाषा का प्रयोग हो रहा है परन्तु वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह आग्रह है कि वे सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें तथा भविष्य में हिन्दी के निरन्तर प्रयोग को बढ़ाने के लिए अपना प्रयास जारी रखें।

(गुलाम नबी आज़ाद)